पटना, शनिवार
25.08.2018 | प्रभात खबर | 17

कैबिनेट के फैसले : सभी जिलों में पंचायत स्तर पर खुलेगा कृषि कार्यालय

संवाददाता ▷ पटना

प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना होगी. इन कार्यालयों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर करायेंगे. दूसरी ओर, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अधीन दो और योजनाओं-मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा और कन्या शिशु के संपूर्ण टीकाकरण को लाया गया है. इन योजनाओं में 21 दिनों के अंदर सेवा उपलब्ध करानी होगी. उधर, रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रोजेक्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी. इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के अब रियल इस्टेट का कारोबार करना संभव नहीं होगा. समय से प्रोजेक्ट को पूरा कराना आसान होगी. शुक्रवार को हुयी कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिये गये. बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी. शेष प्रस्तावों को संशोधन के लिए लौटा दिया गया.

1 अब किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर पर ही मिलेगा

2 रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रोजेक्ट में नहीं होगी रजिस्ट्री

3 आरटीपीएस में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा और कन्या शिशु की संपूर्ण टीकाकरण योजना भी शामिल

पैक्स से किराये पर मिलेंगे कृषि यंत्र

पटना. किसानों को अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि यंत्र किराये पर दिये जायेंगे. इसके लिए किसानों को पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) से संपर्क करना पड़ेगा. शुक्रवार को सहकारिता विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगायी. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत 2018-19 से 2019-2020 तक में प्रत्येक पैक्स में 20 लाख रुपये के कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया जायेगा. इसके लिए 169260 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं. इससे किसानों को खेतीबारी में सुविधा होगी और पैक्स को नियमित आमदनी का जरिया मिलेगा.

कैबिनेट की बैठक के बाद विभागीय प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कृषि से संबंधित नवीन तकनीक का तेजी से विस्तार करने में अब मदद मिलेगी. पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना के लिए 2018-19 में 4221.175 रुपये की योजना की मंजूरी दी गयी है. इससे कृषि प्रसार तंत्र

● बाकी पेज 17 पर
देखें पेज 09 भी

प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 189 और मोटरयान निरीक्षकों के 59 पद बढ़े

पटना. कैबिनेट ने शुक्रवार को परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 189 और मोटरयान निरीक्षकों के 59 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बहुत-से नये-नये एनएच और एसएच बन चुके हैं. कई एनएच और एसएच निर्माणाधीन हैं. इन पर परिवहन वाहनों की जांच जरूरी है, ताकि वे विनियमित रहें. यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने, यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मॉनीटरिंग पर रोकथाम के लिए प्रवर्तन तंत्र को और प्रभावी बनाना आवश्यक है. इसलिए प्रवर्तन अवर निरीक्षक के नये पद सृजित किये गये हैं. वर्तमान में स्वीकृत 61 पदों को छोड़कर 189 अतिरिक्त पदों के सृजन पर मुहर लगी है. इससे प्रदेश के सभी जिलों, चेकपोस्टों पर प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की तैनाती हो सकेगी. इसके अलावा, प्रवर्तन तंत्र को और प्रभावी

● बाकी पेज 17 पर

कैबिनेट के फैसले : सभी...

मजबूत होगा. विभाग स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिल सकेगा. प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-4, 2011) के अधीन समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की दो योजनाओं को लाया गया है. समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना और स्वास्थ्य विभाग के अधीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या शिशु के संपूर्ण टीकाकरण योजना को नयी सेवाओं के रूप में शामिल किया गया है. अब इन योजनाओं में 21 कार्यदिवसों में सेवा उपलब्ध करानी होगी. प्रथम और द्वितीय अपील के लिए 15-15 दिनों का समय तय है. बैठक में निबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी गयी कि रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रोजेक्टों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. प्रदेश में फ्लैट, जमीन, अपार्टमेंट आदि की खरीदारी में ग्राहक के हितों का ख्याल रखा जा रहा है. सुरक्षा एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए लागू भू-संपदा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बिहार रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियमावली-2018 के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है.

चार कट्ठे से ज्यादा के प्लॉट की बिना रेरा नंबर नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री

संवाददाता ▷ पटना

- रियल इस्टेट के दायरे में आने वाले प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए ही रेरा नंबर होना अनिवार्य

कैबिनेट की मंजूरी के बाद चार कट्ठा से अधिक प्लॉट या आठ फ्लैट से अधिक के किसी प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन-फ्लैट की बगैर रेरा नंबर के रजिस्ट्री नहीं होगी. यह नियम नये प्रोजेक्ट के साथ ही सभी चालू प्रोजेक्ट पर लागू होगा. एक मई 2017 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करने वाले सभी चालू प्रोजेक्ट इस नियम के दायरे में आयेंगे. निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इस आशय का गजट निकाला जायेगा और सर्कुलर जारी कर सभी निबंधन कार्यालयों को बगैर रेरा नंबर ऐसे प्रोजेक्टों की रजिस्ट्री नहीं करने की ताकीद की जायेगी. मालूम हो कि कई बिल्डर रेरा जुर्माना सहित रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए बगैर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिये आनन-फानन में अपने प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री करा कर ग्राहकों को सौंप दे रहे थे. इससे ग्राहकों को पूरे पैसे देने के बावजूद अधूरा निर्माण ही हासिल हो रहा था. उनका प्रोजेक्ट रेरा निबंधित नहीं होने की वजह से इसके नियम-कानून के दायरे में भी नहीं आ रहा था. राज्य सरकार का नया नियम ग्राहकों को फ्रॉडगिरी से बचायेगा. रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने अपील मार्च में ही निबंधन विभाग के प्रधान सचिव और महानिरीक्षक को पत्र लिख कर ऐसी रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग रखी थी. रिमाइंडर के बाद उनकी इस मांग को निबंधन विभाग कैबिनेट में ले गया, जहां पर शुक्रवार को उसे मंजूरी दी गयी.

Scanned by CamScanner